

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

// // विविध आदेश // //

क्रमांक- 38 / तीन-16-1 / 2005

हरदा दिनांक 06 / 05 / 2022

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा निर्धारित ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि दिनांक 16.05.2022 से 10.06.2022 तक की अवधि में इस न्यायिक जिला स्थापना के न्यायिक अधिकारीगण का निम्नानुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०	न्यायिक अधिकारी का नाम	ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि	कुल दिवस	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार
1.	सुश्री भावना साधौ, विशेष न्यायाधीश,	दिनांक 17.05.2022 से 28.05.2022 तक कुल 12 दिवस का ग्रीष्मकालीन अवकाश, पूर्ववर्ती अवकाश दिनांक 15.05.2022, 16.05.2022 एवं पश्चातवर्ती अवकाश 29.05.2022 सहित दिनांक 14.05.2022 के न्यायालयीन समय पश्चात से दिनांक 29.05.2022 की शाम तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	12 दिवस	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा	श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
2.	श्री दिनेश कुमार सिंह, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा	दिनांक 17.05.2022 से 28.05.2022 तक कुल 12 दिवस, पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती सार्वजनिक अवकाश के लाभ व 14.05.2022 के न्यायालयीन समय पश्चात से दिनांक 30.05.2022 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	12 दिवस	श्री राजेन्द्र कुमार दक्षणी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा	श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
3.	श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा	दिनांक 30.05.2022 से दिनांक 10.06.2022 तक कुल 12 दिवस, दिनांक 28.05.2022 के न्यायालयीन समय पश्चात से दिनांक 11.06.2022 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	12 दिवस	श्री डी. के. सिंह, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा	कुमारी भावना साधौ, विशेष न्यायाधीश, हरदा
4.	श्री राजेन्द्र कुमार दक्षणी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा	दिनांक 30.05.2022 से दिनांक 10.06.2022 तक कुल 12 दिवस, दिनांक 28.05.2022 के न्यायालयीन समय पश्चात से दिनांक 11.06.2022 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	12 दिवस	श्री डी. के. सिंह, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा	कुमारी भावना साधौ, विशेष न्यायाधीश, हरदा
5.	श्री के० के० वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा	दिनांक 17.05.2022 से दिनांक 28.05.2022 तक कुल 12 दिवस, दिनांक 14.05.2022 के सांयकाल से दिनांक 28.05.2022 की शाम तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	12 दिवस	श्री विनीत साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा 15.05.2022 से 28.05.2022 तक	श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, जे.एम.एफ.सी. हरदा 15.05.2022 से 28.05.2022 तक
6.	श्रीमती कला भम्मरकर, जे.एम.एफ.सी., खिरकिया जिला- हरदा	दिनांक 23.05.2022 से दिनांक 04.06.2022 तक कुल 13 दिवस, दिनांक 20.05.2022 के सांयकाल से दिनांक 06.06.2022 के न्यायालय समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर	13 दिवस	श्री विनीत साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा 23.05.2022 से 28.05.2022 तक एवं श्री एस. के.	श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा 23.05.2022 से 28.05.2022 तक

		रहने की अनुमति सहित।		भदकारिया, जे.एम. एफ.सी., हरदा 29.05.2022 से 05.06.2022 तक	एवं श्री के0 के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा 29.05.2022 से 05.06.2022 तक
7.	श्री एस. के. भदकारिया, जे.एम. एफ.सी., हरदा	दिनांक 17.05.2022 से दिनांक 28.05.2022 तक कुल 12 दिवस, दिनांक 14.05.2022 के सांयकाल से 28.05.2022 शाम तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	12 दिवस	श्री विनीत साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा 15.05.2022 से 28.05.2022 तक	श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा 15.05.22 से 28.05.2022 तक
8.	श्री विनीत साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	दिनांक 30.05.2022 से दिनांक 10.06.2022 तक कुल 12 दिवस, दिनांक 28.05.2022 के सांयकाल से दिनांक 11.06.2022 के न्यायालय समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	12 दिवस	श्री एस. के. भदकारिया, जे.एम. एफ.सी., हरदा 29.05.2022 से 10.06.2022 तक	श्री के0 के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा 29.05.2022 से 10.06.2022 तक
9.	श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	दिनांक 30.05.2022 से दिनांक 10.06.2022 तक कुल 12 दिवस, दिनांक 28.05.2022 के सांयकाल से दिनांक 11.06.2022 के न्यायालय समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	12 दिवस	श्री के0 के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा 29.05.2022 से 10.06.2022 तक	श्री एस. के. भदकारिया, जे.एम. एफ.सी., हरदा 29.05.2022 से 10.06.2022 तक
10.	श्रीमती ज्योति वरकडे, जे.एम.एफ.सी., टिमरनी	दिनांक 30.05.2022 से दिनांक 10.06.2022 तक कुल 12 दिवस, दिनांक 28.05.2022 के सांयकाल से दिनांक 11.06.2022 के न्यायालय समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	12 दिवस	श्री एस. के. भदकारिया, जे.एम. एफ.सी., हरदा 29.05.2022 से 10.06.2022 तक	श्री के0के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा 29.05.2022 से 10.06.2022 तक

- 1- उपरोक्त तालिका अनुसार वर्णित क्र. 01 लगायत 10 तक के न्यायिक अधिकारीगण का ग्रीष्मकालीन अवकाश, मुख्यालय अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।
 - 2- न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्नलिखित शर्तों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे -
 1. सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व अपने कार्य की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे।
 2. न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सहमति के आधार पर निष्पादित की जावेगी।
 3. ग्रीष्मकालीन प्रभार व्यवस्था, ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि के दौरान प्रभावशील रहेगी।
 4. ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में कोई भी मजिस्ट्रेट अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रहता है तब उस न्यायालय का कार्य जिला मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा।
- यह आदेश ग्रीष्मकाल अवकाश अवधि तक प्रभावशील रहेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
हरदा (MOPRO)

निर्देशानुसार प्रतिलिपि :-

- 1 सुश्री भावना साधौ, विशेष न्यायाधीश (अ.जा./अ.ज.जा.) हरदा
- 2 श्री दिनेश कुमार सिंह, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
- 3 श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
- 4 श्री राजेन्द्र कुमार दक्षणी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
- 5 श्री के० के० वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा
- 6 श्रीमती कला भम्मरकर, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खिरकिया जिला- हरदा
- 7 श्री एस. के. भदकारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/जिला रजिस्ट्रार, हरदा
- 8 श्री विनीत साकेत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरदा
- 09 श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरदा
- 10 श्रीमती ज्योति वरकड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टिमरनी, जिला- हरदा
- 11 अक्षयक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, हरदा/खिरकिया/टिमरनी, जिला- हरदा
- 12 प्रशासनिक/उप प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
- 13 सांख्यिकीय लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
- 14 प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 15 सिस्टम ऑफिसर/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय, हरदा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, न्यायिक अधिकारीगण को ई-मेल व वॉट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित की जावे व जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड की जावे।

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय
हरदा (म०प्र०)